भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली तथा इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।

- कॉन्सुलर एक्सेस 2008 पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान **प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई** को किया जाता है।
  - **समझौते की धारा 4** में कहा गया है कि दोनों देशों की सरकारों को दूसरे देश के नागरिकों को उनकी गिरफ्तारी,**हिरासत या कारावास के तीन महीने के भीतर कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करना होगा।**
  - समझौते की **धारा 5** में यह प्रावधान है कि **दोनों सरकारों को व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि** होने और उनकी सज़ा पूरी होने के एक महीने के भीतर उन्हें रिहा करना होगा तथा वापस भेजना होगा।
- भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक **कैदियों**, **मछुआरों**, **उनकी नौकाओं** तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है।

और पढ़ें: भारत और पाकिस्तान

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-and-pakistan-exchange-list-of-prisoners